

प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र 2 समुदाय केन्द्र
प्रति विहार, नई दिल्ली ।

C.B.S.E. (C.A.)
Diary No. 15-7-93
Date 30 SEP 1993
Section

शिक्षा 171 अनुभाग

तखतः दिनांक: 2 सितम्बर, 1993

विषय:-

नोयेडा पब्लिक स्कूल, नोयेडा गाजियाबाद को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नोयेडा पब्लिक स्कूल, नोयेडा गाजियाबाद को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से सम्बन्धता प्रदान किये जाने में डा. राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति नहीं है ।


- 1- विद्यालय की पंजीकृत शीताघटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम वेतन स्तर प्रतिशत स्थान अनुसूचित जात/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से बिना अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/केन्द्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशल फार टि ईडियन स्कूल सर्विफोर्ड परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 5- संस्था शिक्षक एवं शिक्षाएतत्त कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिष्य संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्त्र वेतनमानों तथा अन्य भत्त से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तें नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अनापत्ति उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्त्र सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

D0-4
72/9
3/9

- 7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निम्नलिखित विद्ये जारी, संस्था उनका पालन करेगी ।
- 8- ~~राज्य सरकार द्वारा~~ विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीयनों में रखा जायेगा ।
- 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वाग्रहों के बिना कोई परिवर्तन संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होना और यदि किसी समय यह वादा जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की मुक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,



अनंद कौरी
उप सचिव ।

पुणे 3996111/15-7-1993 तदुद्दिष्ट

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुचनाई एवं आक्षेप कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ मंडल, मेरठ ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, नोएडा पब्लिक स्कूल, नोएडा, गाजियाबाद ।

आप से,

अनंद कौरी
उप सचिव ।

Self-Attested
Propari

Principal
Noida Public School
A-78, Sector-23, Noida-20131

Sharma
Manager

Committee of Management
NOIDA PUBLIC SCHOOL
Sector.....NOIDA